न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर०ए०एस०)

दायर दिनांक 11.02.2022

प्रकरण संख्या/14/2022

उनवान

1. रामीबाई पत्नी शंकरलाल जाति सालवी आयु वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

—— वादीया

बनाम

1. घीसुलाल पिता नानाजी जाति जटिया (चमार) आयु वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
2. बदाभी पत्नी नानाजी जाति जटिया (चमार) आयु वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
3. तहसीलदार, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. पटवारी, पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 19.03.2025

—:निर्णयः—

वादीया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा सुरपुर तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में हाल जमाबन्दी दर्ज वादीया के खातेदारी अधिकार कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की खाता संख्या 258 से आराजी संख्या 726 रकबा 0.02 हैक्ट0, आ0सं0 728 रकबा 0.24 हैक्ट0, आ0सं0 731 रकबा 0.43 हैक्ट0 स्थित है।

यह कि उपरांकित आराजीयात में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का किसी प्रकार से कोई कानूनन हक अधिकार कब्जा उपयोग उपभोग नही है परन्तु उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की आराजीयात के समीप है जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व उनके परिवारजन वादीया को जबरन बेदखल कर कब्जा करने आराजीयात में कारतामीर करने मकान बनाने को आमादा है और विवाद कर कह रहे है कि उक्त आराजी में हमारे नाम इन्द्रा आवास का पैसा पास हुआ हम नींव खोदेंगे मकान बनायेगे दिनांक 25.01.2022 को जे0सी0सी0 मशीन ले आये मकान बनाने के लिये नीव खोदने पर आमादा हुआ रोका तो झगडा किया और धमकी दी है कि तु अकेली औरत हमारा क्या बिगाड लेगी मकान बना कर रहेंगे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादीया की आराजी संख्या 728 में जबरन कब्जा करने मकान बनाने का उतारू है जिन्हे स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रोका नहीं गया तो वादीया को बेशुमार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति मूल्यों में नही होगी, मुकदमेंबाजी बढेंगी, वादीया उक्त आराजीयात पर कृषि कर अपनी उदरपुर्ति करती आ रही है।

यह कि प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादीया की उल्लेखित आराजीयात पर जबरन कब्जा करने मकान बनाने की फिराक में है जिससे दौराने दावा प्रतिवादीगण वादीया को उल्लेखित आराजीयात से जबरन बेदखल कर दे कब्जा छीन ले जबरन कच्ची पक्की कारतामीर कर मकान बना ले आराजी का स्वरूप बिगाड दे किसी प्रकार का नुकसान पहुँचा दे तो जरिये

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

देशात्मक आज्ञा हाल बहाल मौका प्रतिवादी सं0 1 व 2 के खर्चे से दुरूस्त कराया जाना ना फरमावें।

यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने दिनांक 25.01.2022 को जे0सी0बी0 मशीन लाकर वादीया की आराजी संख्या 728 में मकान बनाने व नींव खोदने का प्रयास किया और धमकी दी उक्त आराजी में मकान बनाकर रहेगे। कब्जा छोड दो जिससे बिनाय दावा दिनांक 25.01.2022 से पैदा होकर निरन्तर बनी हुई है।

अन्त में निवेदन किया कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व उनके परिवारजन नौकर एजेन्ट इस आशय की जारी फरमावें की ग्राम सुरपुर के हल्के बैरूनी की वादीया के खातेदारी अधिकार कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की खाता संख्या 258 से आराजी संख्या 726 रकबा 0.02 हैक्ट0, आराजी संख्या 728 रकबा 0.24 हैक्ट0 और आराजी संख्या 731 रकबा 0.43 हैक्ट0 में जबरन कब्जा न करें वादीया को बेदखल नहीं करे न किसी प्रकार की कच्ची पक्की कारतामीर कर मकान बनावें व काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा पहुँचावें न उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का नुकसान कारित करें।

यह कि दौराने दावा प्रतिवादीगण वादीया को उल्लेखित आराजीयात से जबरन बेदखल कर दे कब्जा छीन ले जबरन कच्ची पक्की कारतामीर कर मकान बना ले आराजी का स्वरूप बिगाड दे किसी प्रकार का नुकसान पहुँचा दे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा हाल बहाल मौका प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खर्चे से दुरूस्त कराया जाना फरमावें।

यह कि हर्जा खर्चा मुकदमा मेहनताना वकील आदि जो भी वादीया पक्ष हो वह सादर दिलावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल बैरवा का अधिकार पत्र प्रस्तुत। आज दिनांक को वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील वादीया ने निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात वर्तमान में वादीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीया को जबरन बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। हमनें प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया जिसमें वादीया खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा सुरपुर तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में हाल जमाबन्दी दर्ज वादीया के खातेदारी अधिकार कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की खाता संख्या 258 से आराजी संख्या 726 रकबा 0.02 हैक्ट0, आ0सं0 728 रकबा 0.24 हैक्ट0, आ0सं0 731 रकबा 0.43 हैक्ट0 स्थित है में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात में वादीया के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। न ही ऐसा प्रतिवादीगण उनके परिवार के अन्य सदस्य नौकर एजेन्ट आदि से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़